

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 807
दिनांक 24.07.2025 को उत्तर के लिए नियत

आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

807. श्री केसिनेनी शिवनाथः

श्री डग्गुमल्ला प्रसादा रावः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत स्वीकृत, स्थापित और ऋण वितरित की गई स्व-रोजगार उद्यमों की जिला-वार संख्या कितनी है;
- (ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में वर्ष-वार कुल कितनी मार्जिन मनी राजसहायता आवंटित, जारी और उपयोग की गई;
- (ग) राज्य में इस योजना के अंतर्गत शामिल ग्रामीण और शहरी लाभार्थियों की संख्या लिंग-वार और सामाजिक श्रेणी-वार कितनी है;
- (घ) राज्य के आकांक्षी जिलों और तटीय क्षेत्रों में योजना की पहुँच को विस्तार देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ङ) क्या पीएमईजीपी आवेदन पोर्टल में समस्याएँ पैदा होने की सूचना मिली है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (च) यदि नहीं, तो पिछले छह महीनों में राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : विगत पाँच वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत संवितरित और स्थापित सूक्ष्म उद्यमों की जिला-वार संख्या अनुलग्नक-। पर दी गई है।

(ख) : विगत पाँच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत जारी/उपयोग की गई मार्जिन मनी सब्सिडी निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	जारी/उपयोग की गई एमएम सब्सिडी (करोड़ रु.)
2020-21	68.66
2021-22	100.88
2022-23	129.29
2023-24	171.99
2024-25	143.74

(ग) : आंध्र प्रदेश में पीएमईजीपी के अंतर्गत शामिल किए गए ग्रामीण और शहरी लाभार्थियों की लिंग और सामाजिक श्रेणी-वार संख्या अनुलग्नक-॥ में दी गई है।

(घ) : पीएमईजीपी के अंतर्गत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के आकांक्षी जिलों और तटीय क्षेत्रों सहित देश भर में इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं:

- I. विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया जाना।
- II. उच्चतर राजस्वायता हेतु पात्र विशेष श्रेणी के अंतर्गत आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडरों के आवेदकों को शामिल करना।
- III. इस स्कीम के अंतर्गत पशुपालन से संबंधित उद्योगों जैसे डेयरी, मुर्गीपालन, जलकृषि, कीटपालन (मधुमक्खी, रेशम उत्पादन आदि) को अनुमति दी गई है।
- IV. पिछड़े और कम प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम। आंध्र प्रदेश के आकांक्षी जिलों और तटीय क्षेत्रों में आयोजित जागरूकता शिविरों और जन शिक्षा कार्यक्रमों का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।
- V. भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन।
- VI. जनवरी 2024 से भावी लाभार्थियों से 11 क्षेत्रीय भाषाओं में वास्तविक रूप में पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार किया जाना।

(ङ) : पीएमईजीपी आवेदन पोर्टल में कोई समस्या नहीं आई है। पोर्टल संचालन में है और नए आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं।

(च) : दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 18.07.2025 तक पीएमईजीपी के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक-IV में दी गई है।

अनुलग्नक I: दिनांक 24.07.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 807 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित

क्र.सं.	जिला	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
		संवितरित/स्थापित इकाइयों की सं.				
1	अल्लूरी सीतारमा राजू	0	0	28	58	30
2	पश्चिम गोदावरी	179	241	233	197	141
3	गुंटूर	145	240	206	164	124
4	कडपा (वाईएसआर)	69	119	153	168	144
5	प्रकासम	157	197	165	212	297
6	पूर्वी गोदावरी	300	360	345	309	167
7	विजयानगरम	78	141	169	687	204
8	कृष्णा	97	194	131	149	108
9	कुरनूल	75	149	152	162	78
10	अनंतपुर	178	199	179	228	134
11	चित्तूर	132	206	163	240	163
12	श्रीकाकुलम	85	157	157	267	134
13	अनकापल्ली	0	0	52	144	86
14	अन्धमय्या	0	0	49	630	178
15	बापतला	0	0	47	146	101
16	एलुरु	0	0	110	147	94
17	काकीनाडा	0	0	74	136	109
18	कोनासीमा	0	0	81	156	106
19	नानादयाल	0	0	23	107	93
20	एनटीआर	0	0	32	133	92
21	पालनाडु	0	0	48	106	109
22	पार्वतीपुरम मन्यम	0	0	21	67	63
23	श्री सत्य साई	0	0	77	215	84
24	तिरुपति	0	0	46	503	183
25	नेल्लोर	95	147	234	153	171
26	निजामाबाद	0	0	0	0	0
27	विशाखापत्तनम	77	127	98	93	56
कुल		1667	2477	3073	5577	3249

अनुलग्नक II

अनुलग्नक II: दिनांक 24.07.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 807 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित

क्र.सं.	सामाजिक श्रेणी/लिंग	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
		ग्रामीण	शहरी								
1	महिला	710	146	1074	246	1394	322	2960	497	1601	246
2	पुरुष	682	139	935	222	1102	254	1761	359	1210	192
3	अ.जा.(एससी)	270	33	331	83	440	86	1054	162	1188	193
4	अ.ज.ज.(एसटी)	83	4	74	8	99	16	174	29	210	23
5	अ.पि.व.(ओबीसी)	511	137	838	220	983	296	1937	396	735	142
6	अल्पसंख्यक	15	15	38	10	37	10	34	19	13	6
7	सामान्य	510	96	728	147	938	168	1522	250	665	74

अनुलग्नक III

अनुलग्नक III: दिनांक 24.07.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 807 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित

पीएमईजीपी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के आकांक्षी जिलों और तटीय क्षेत्रों में जागरूकता शिविर

क्र.सं.	दिनांक	जिला	आकांक्षी/तटीय	स्थान
1	06.02.2025	वाईएसआर कडप्पा	आकांक्षी	अंजनेय स्वामी देवालयम, जम्मलमडुगु, वाईएसआर कडप्पा
2	14.03.2025	बापतला	तटीय	बेलुगु कार्यालय, बापतला
3	14.03.2025	बापतला	तटीय	एमपीडीओ कार्यालय, चिराला, बापतला जिला
4	22.03.2025	वाईएसआर कडप्पा	आकांक्षी	मंडला समाख्या, डीआरडीए, प्रोद्वातुर, वाईएसआर कडप्पा

पीएमईजीपी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के आकांक्षी जिलों में जन शिक्षा कार्यक्रम

क्र.सं.	दिनांक	जिला	आकांक्षी/तटीय	स्थान
1	21.03.2025 और 22.03.2025	वाईएसआर कडप्पा	आकांक्षी	चैतन्य भारती प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रोद्वातुर, वाईएसआर जिला

अनुलग्नक IV: दिनांक 24.07.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 807 के भाग (च) के उत्तर में संदर्भित

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या (दिनांक 01.01.2025 से 18.07.2025 तक)
1	अंडमान निकोबार	50
2	आंध्र प्रदेश	7536
3	अरुणाचल प्रदेश	161
4	असम	4512
5	बिहार	5662
6	चंडीगढ़-संघ राज्य क्षेत्र	17
7	छत्तीसगढ़	1968
8	दादरा नगर हवेली	6
9	दमन और दीव	17
10	दिल्ली	556
11	गोवा	64
12	गुजरात	1939
13	हरियाणा	1865
14	हिमाचल प्रदेश	1010
15	जम्मू कश्मीर	8983
16	झारखण्ड	2183
17	कर्नाटक	12990
18	केरल	2686
19	लद्दाख	65
20	लक्ष्मीपुर	3
21	मध्य प्रदेश	550
22	महाराष्ट्र	8019
23	मणिपुर	755
24	मेघालय	566
25	मिजोरम	163
26	नागालैंड	43
27	ओडिशा	5748
28	पुदुचेरी	59
29	पंजाब	1935
30	राजस्थान	2829
31	सिक्किम	271
32	तमिलनाडु	9309
33	तेलंगाना	4263
34	त्रिपुरा	716
35	उत्तर प्रदेश	2790
36	उत्तराखण्ड	413
37	पश्चिम बंगाल	2940
कुल		93642